प्रेस–विज्ञप्ति **12.03.2016**

फाइनेन्स बिल 2016 में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावित परिवर्तनों के विश्लेषण

पर गोष्ठी

आज दिनांक **12 मार्च, 2016** को मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया रीजनल कौंसिल ऑफ आईसीएआई (CIRC of ICAI), कानपुर चार्टड अकाउंटेंट सोसाइटी (KCAS) एवं कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन (KITBA) के संयुक्त तत्वाधान में **"यूनीयन बजट 2016"** पर एक चर्चा का आयोजन किया जा रहा है।

उक्त सत्र के **मुख्य-वक्ता, सी.ए. (डॉ.) रमेश वैश, नईं दिल्ली,** से थे। जिसमें उन्होंने यूनीयन बजट-2016 के विभिन्न प्रावधानों का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया।

श्री दीपक कुमार मुशरा ने उक्त सत्र का संचालन किया। श्री अतुल कनोडिया, चेयरमैन, सेमीनार कमिटी, ने स्वागत-भाषण प्रस्तुत किया और श्री राजेश गुप्ता (KITBA), श्री स्वर्ण सिंग एवं श्री सुधीन्द्र जैन ने मुख्य-वक्ता का स्वागत एक स्मृति-चिन्ह भेट कर किया।

सी.ए. (डॉ.) रमेश वैश, नईं दिल्ली, ने निम्नलिखित रूप से यूनीयन बजट 2016 के वभिन्न प्रावधानों पर अपना वक्तव्य दिया, जो कि इस प्रकार से है:

माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण में परिलक्षित होता है कि टैक्स की मूल दर में कोई परिवर्तन नही किया गया है और अधिकतम रकम जिस पर टैक्स नहीं लगना है। पूर्ववत रखा गया है। परन्तु प्रस्तावित बजट में लघु एवं सीमान्त कर दाताओं को छोड़कर नान कारपोरेट करदाता का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर बढ़ा दिया गया है नई उत्पादन एवं स्टार्ट अप कम्पनियों को कुछ राहत दी गयी है। इसके अतिरिक्त माननीय वित मंत्री ने बजट में कुछ विशिष्ट चीजों को प्रस्तावित किया हैः–

1) इन्कम डिस्क्लोजर स्कीम जो कि आगामी 1 जून 2016 से लागू होगीः–

   इसमें एक मौका ऐसे व्यक्तियों को लिये दिया गया है जिन्होने पिछले वर्षो में अपनी पूरी आय पर कर नहीं दिया है। वे लोग अपनी अधोषित आय वित्तीय वर्ष 2015–2016 में घोषित करके उस पर कुल 45% कर देकर तथा कुछ पूर्व शर्ते पूरी करके इस योजना का लाभ उठा सकते है।

2) धारा 271 (1)(c) के अर्न्तगत जुर्माने की रकम के लिये नया प्रावधान धारा 270A और 270 A A को लागू किया गया है जो 01-04-2017 से प्रभावी होगी।

3) रूके हुए विवाद को सुलझाने के लिये प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 2016 को चालू किया गया है।

4) पेपर मुक्त कर निर्धारण पर ध्यान दिया गया है। जिससे आयकर कार्यालय न आना पड़े।

5) फाइनेन्स बिल 2016 में स्त्रोत पर कर की कटौती की सीमा को कुछ खर्चो में बढ़ाया गया है तथा रेट भी घटाये गये है।

6) S.T.T. को 0.017% से बढ़ा कर 0.050% कर दिया गया है।

7) सेवाकर में एक अतिरिक्त कृषि कल्यान सेस 0.5% लगाया गया है।

8) मध्यवर्गीय लोगों को जिनकी आय 5 लाख से कम है उन्हें भी टैक्स की छूट 2000/– से बढ़ाकर 5000/– रू0 कर दी गयी है।

9) विशिष्ट व्यवसाय के व्यक्तियों यदि उनकी सकल प्राप्तियाँ 50 लाख से कम है को भी डीम्ड आय 50% दिखाने का प्रावधान किया गया है।

(10) एकीकृत कृषि विपणन योजना के अंतर्गत 14 अप्रैल को ई-मंच का प्राम्भ किया जाएगा ।

(11) दीर्घ अवधि सिचाई फण्ड की स्थापना नाबार्ड में की जायेगी जिसमें प्राथमिक तौर पर 20000 करोड़ रूपये का अंशदान किया जाएगा।

(12) कुल खेती योग्य जमीन जो कि लगभग 141 लाख हेक्टेयर है का 46% ही सिचाईं युक्त है। प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के माध्यम से इसे 66% तक ले जाने की योजना है।

प्रस्तावित फाइनेन्स बिल 2016 परफारमेन्स ओरिएन्टेड है और मनमानी पेनाल्टी पर रोक लगेगी, जो कर दाता एवं आयकर विभाग के मध्य विवाद का कारण बनते है।

डॉ वैश ने यह भी कहा कि योजनाबद्ध-व्यय गैर योजनाबद्ध-व्यय से ज्यादा से तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था को हानि होती है।

धन्यवाद प्रस्ताव सी.ए. स्वर्ण सिंह जी ने दिया।

उपस्थित गणमान्य: श्री ए.के. सिन्हा, सचिव, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री संतोष गुप्ता, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया रीजनल कौंसिल ऑफ आईसीएआई

(CIRC of ICAI), कानपुर चार्टड अकाउंटेंट सोसाइटी (KCAS) एवं कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन (KITBA) के सदस्यगण भी उपस्थित थे।

धन्यवाद
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश